



केन्द्रीय कार्यालय/Corporate Centre

Manager/ प्रबंधक

Listing Department/ सूचीकरण विभाग

National Stock Exchange of India Limited/ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड "Exchange Plaza", Bandra-Kurla Complex,

Dated: 3rd December, 2025

Bandra (E), Mumbai-400 051/

"एक्सचेंज प्लाज़ा", बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),

मंबई-400 051

Scrip Code: NTPC

Ref. No.: 01:SEC:LA:1

General Manager/ महाप्रबंधक

Department of Corporate Services/ कॉर्पोरेट सेवा विभाग BSE Limited/ बीएसई लिमिटेड

Floor 25, Phiroze Jeejeebhov Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001/ मंजिल 25, फ़िरोज़ जीजीभोय टावर्स,दलाल स्टीट,

मंबई- 400 001

Scrip Code: 532555

ISIN: INE733E01010

Sub: Newspaper publication regarding transfer of equity shares to Investor Education and **Protection Fund**

Dear Sir/Madam, / महोदय/महोदया.

Please find enclosed the copies of advertisement regarding notice to shareholders for transfer of equity shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority under the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, published in today's newspapers (3rd December, 2025) i.e., Financial Express (English edition), The Indian Express (English edition) and Jansatta (Hindi edition).

This is for your information and record. / यह आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए है।

Thanking You/ धन्यवाद, Yours faithfully/ भवदीया,

(Ritu Arora)/ (रित अरोडा) Company Secretary & Compliance Officer/ कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी Membership No.: / सदस्यता क्र. F5270

Encl.: As above

पंजीकृत ऑफिस : एनटीपीसी भवन, स्कोप काम्पलैक्स, 7, इंस्टीटयुशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 सीआईएन : L40101DL1975GOI007966 | टेलीफोन : 011-24387333 | फैक्स : 011-24361018 | ntpccc@ntpc.co.in | www.ntpc.co.in Registered Office: NTPC Bhawan, SCOPE Complex, 7, Institutional Area, Lodi Road, New Delhi-110003

CIN: L40101DL1975GOI007966 | Tel: 011-24387333 | Fax: 011-24361018 | ntpccc@ntpc.co.in | www.ntpc.co.in











FINANCIAL EXPRESS

PRIMARY PRODUCERS TO BENEFIT FROM REGULATIONS

Farmers, cottage units may be able to use LLP model

MANU KAUSHIK New Delhi, December 2

THE GOVERNMENT MAY allow farmers and people engaged in handloom, handicraft or other cottage industries to form limited liability partnerships (LLPs) to let them take advantage of the lighttouch regulations under the LLPAct, 2008.

The government is expected to table the Corporate Laws (Amendment) Bill, 2025 in the ongoing winter session of Parliament. It will seek to amend the LLP Act so that primary producers don't have to go through the conventional way of creating producer companies and be subjected to a host of compliance.

"This is a new concept that will target farmers, milk producers, fishermen, weavers and rural artisans who can benefit from the lower compliance burden available to LLPs as compared to companies," said an official.

While producer institutions have traditionally been organised in the form of co-operative societies, the concept of producer companies was introduced in Companies Act through relevant amendments."However, it is now being felt within the government to enable producer institutions to follow the LLP model that offers ease of formation, tax benefits,

MANU KAUSHIK

New Delhi, December 2

THE GOVERNMENT HAS

stressed the need to enhance the

quality, transparency, and uni-

formity in the implementation

of the national skill develop-

ment scheme — Pradhan

Mantri Kaushal Vikas Yojana

(PMKVY). To this end, it has

undertaken several measures,

Minister of State (Independent

Charge) for Skill Development

and Entrepreneurship Jayant

Chaudhary said in reply to a set

of questions in Parliament

about the running of the

scheme, and the "governance"

ON THE CARDS

from lower compliance ■ Move aimed at targeting milk

producers, fishermen,

burden available to LLPs as compared to firms ■ Changes align with govt's

■ Govt says groupwill benefit

goal of promoting ease of doing business



lower compliance burden on top of the benefits already offered by the producer companies," the official said. For example, an LLP is not required to get its accounts audited unless its turnover exceeds 4 million or its capital contribution exceeds 2.5 million.

In 2022, the Companies Law Committee report had also recommended "the incorporation of producer LLPs that would serve as a more desirable option for small producers since LLPs have been provided with a range of relaxations in the conduct of their affairs."

Experts said that the proposed amendments are aimed at relaxing regulations for producer companies and introducing producer LLPs, boostprimary producers' economic status. "Key benefits

crisis" at National Skill Develop-

redressal framework, perfor-

"A structured grievance

ment Corporation (NSDC).

include reduced compliance burden, increased flexibility, improved decision-making with defined LLP model agreements. These changes align with the government's goal of promoting ease of doing business. The amendments are expected to reinforce confidence among primary producers, leading to improved economic outcomes," said Anjali

at Nangia Group.

At present, producer companies, which are distinct from producer LLPs, can be registered with a minimum of 10 people under the Companies Act with an objective to collectively handle functions like production, harvesting, processing, procurement and marketing for its members.

Malhotra, partner (regulatory)

Taking steps to curb malpractices under skills scheme, says minister

> mance audits, impact assessments, and third-party evaluhave cation of attendance records. institutionalised to curb malpractices, including falsification of attendance records. CAG has to conduct the audit of NSDC, the implementing agency of PMKVY from 2017-

18 onwards," the minister said. In response to the queries related to irregularities in the scheme, Chaudhary said that a total of 178 training centres have been blacklisted till October 2025 under PMKVY 4.0 for non-adherence to scheme guidelines. Further, he said, 41 FIRs have been registered in matters involving serious irregularities, including falsifi-

On a question pertaining to the removal of the NSDC CEO in May 2025, Chaudhary said that NSDC Board, in its meeting held in May 2025, took the decision to remove the then-officiating CEO of NSDC as per the NSDC's governance framework and established procedures, which don't fall under the administrative

control of the ministry.

DCM SHRIRAM LIMITED

fice: Plot No. 82, Sector 32, Institutional Area, Gurugram - 122001, Haryana E-mail: shares@dcmshriram.com www.dcmshriram.com

This Notice is being published pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended from time to time ("the Rules"). The said Rules prescribe the manner of dealing with the shares in respect of which, dividend has remained unclaimed/unpaid for a period of seven consecutive years. As per the said Rules, such shares along with unclaimed/unpaid dividend shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF). The list of such shareholders is uploaded on the Company's website at https://www.dcmshriram.com/investors/shareholders-corner. are being sent to the shareholders who have not encashed their dividends since the 2nd Interim Dividend for FY 2018-19, or have otherwise procured any order(s) from Court/Tribunal. Statutory Authorities, etc. in respect of their shares, at their latest available address as per records of the Company, to provide an opportunity to claim their unclaimed/unpaid dividend and take appropriate action to avoid transfer of such shares to IEPF. The concerned shareholders are requested to write to the Company Registrar and Share Transfer Agent (RTA), along with proof of encashment of dividend / relevant document(s) / order(s) etc., as the case may be, on or before Friday, 13th February 2026. For individual notices sent to them or contact the RTA, MCS Share Transfer Agent Ltd. at 179-180, DSIDC Shed, 3rd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020, Tel.: 011-41406149-52, E-mail: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com or the Company DCM Shriram Limited at 2nd Floor (West Wing), Worldmark 1 Aerocity, New Delhi - 110037, Tel.: 011-42100200, E-mail:

SEBI has mandated the Company/RTA to obtain copies of PAN

For DCM Shriram Limited

Place: New Delhi Date: 2rd December 2025

Statutory cover to Statistical Commission sought

No such proposal being considered: Govt to House panel

KULDEEP SINGH New Delhi, December 2

IN ORDER TO improve the credibility and reliability of India's statistics, the Parliamentary Standing Committee on Finance has recommended that the National Statistical Commission (NSC) should be established as an autonomous body with statutory provisions.

In its report, titled "Performance Review of National Statistical Commission", tabled in

the Lok Sabha on Tuesday, the parliamentary panel underlined that the NSC, envisioned as the apex body for statistical governance, has yet to realise its full potential due to the absence of statutory backing and limited enforcement capacity.

"Drawing from global best

practices, particularly models like the UK Statistics Authority, the NSC should be restructured as an autonomous and accountable institution reporting to Parliament, supported by a professionally managed statistical office," it said. The NSC was established in 2005 following the recommendations of the C Rangarajan Commission, which reviewed the



The parliamentary panel on finance has said the National Statistical Commission has yet to realise its full potential

Indian statistical system in 2001. The NSC has four members besides a chairperson, each having specialisation and experience in specified statistical fields. The parliamentary panel observed that the Rangarajan

Commission recommended creating a permanent, statutory body for official statistics, but the NSC was never given this legislative framework.

The committee noted that the reliability and quality of official statistics are vital for effective policy making and public trust. The committee further observed that the existence of different data producers, including a growing number of private data providers, creates the possibility of discrepancies between their statistical estimates and those published by the NSC, particularly for key indicators like GDP. Meanwhile, the Ministry of

Statistics and Programme

Implementation (MoSPI) has told the committee that the NSC has autonomy to discharge its functions effectively and efficiently."The NSC has developed adequate measures and mechanisms in this regard. In view of this, at present, regarding statutory body there is no such proposal under consideration,' MoSPI told the committee on being asked about the status of the draft National Statistical Commission (NSC) Bill, 2019 which proposed to establish NSC as an autonomous body. The panel also recommended the MoSPI to prioritise implementation of a comprehensive AI integration strategy within the national sample survey.

No proposal to raise PSBs FDI limit: Govt

FE BUREAU New Delhi, December 2

THE GOVERNMENT IS not considering any proposal to raise the foreign direct investment (FDI) limit in public sector banks (PSBs) from 20% to 49%, Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary informed the Rajya Sabha on Tuesday.

Currently, FDI caps stand at 20% for PSBs and 74% for private banks, with up to 49% allowed automatically in the latter. Any acquisition of 5% or more in a bank requires prior Reserve Bank of India approval.

Chaudhary said the number of shares held by the Centre in 12 PSBs has not declined since 2020, although the government's shareholding percentage has reduced in some cases due to banks issuing fresh capital. Such issuances support growth, meet regulatory norms, and ease fiscal pressure. Banks must also maintain a 25% minimum public shareholding.

As per the new public sector enterprise (PSE) policy issued by



Union Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary

the department of investment and public asset management, he said, "recommendations shall be made by NITI Aayog with regard to central PSEs under strategic sectors, which includes the banking, insurance and financial services Sector, and recommendations shall be considered and central PSEs to be, inter alia, retained under government control or considered for privatisation or merger or subsidiarisation with another PSE shall be approved by an alternative mechanism that has been approved by the government."

NTPC Limited

(A Govt. of India Enterprise)



CKA Birla Group

www.saraswat.bank.in

(1) (a) (a) (b) (c)

ORIENT ELECTRIC LIMITED CIN: L311000R2016PLC025892 Registered Office: Unit VIII, Plot No. 7, Bhoinagar, Bhubaneswar, Odisha-751012 Corporate Office: 240, Okhla Industrial Estate, Phase -III, Okhla New Delhi - 110020 **Tel:** 011-41325060

To know more, give a missed call on 9595 635 635

E-mail: investor@orientelectric.com, **Website:** www.orientelectric.com

Special Window for Re-lodgment of Transfer Requests of Physical Shares

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, all shareholders are hereby informed that a Special Window is being opened for a period of six months from July 07, 2025, to January 06, 2026, to facilitate re-lodgement of transfer request of physical shares. The above-mentioned special window is specifically open for such transfer request cases which were lodged prior to deadline of April 01, 2019, and the same were rejected/returned/not attended due to deficiencies in

documentation or were not processed due to any other reason. The shares re-lodged for transfer will be processed only in dematerialized form during this window. Eligible shareholders may submit their transfer request along with the requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at M/s KFin Technologies Limited, Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India

500032. (Tel No.: 1800-309-4001) within stipulated period. All the shareholders are requested to update their E-mail id(s) with Company / RTA / Depository Participants.

For Orient Electric Limited

New Delhi December 02, 2025

Diksha Singh Company Secretary (ICSI Membership No. A44999)

Reintroduce 15% concessional tax for new manufacturing firms, says PHDCCI

INDUSTRY BODY PHDCCI has sought reintroduction of 15% concessional tax rate for new manufacturing units in the 2026-27 Budget. The industry body has submitted pre-budget recommendations to the Finance Ministry requesting re-introduction of section 115BAB of the Income Tax Act, wherein a concessional rate of corporate tax of 15% plus surcharge was introduced for new manufacturing units complying with certain conditions.

The industry body said that a concessional rate would provide a major incentive for foreign companies to set up subsidiaries in India and invest in manufacturing units, the PHDCCI said. Section 115BAB of the Income TaxAct,

introduced via an ordinance in 2019, a concessional rate corporate tax rate of 15% plus surcharge was introduced for new manufacturing units complying with certain conditions. The facility was available for companies that started manufacturing on or before March 2024, but was not extended thereafter. It also requested for reduction in rates of taxation for individuals, partnership firms and limited liability partnerships. It suggested that the maximum tax rate for income up to ₹30 lakh should be 20% and from ₹30 lakh to ₹50 lakh, 25%. **FE BUREAU**

CIN: L74899HR1989PLC137147

For the attention of Equity Shareholders of the Company

shares@dcmshriram.com (please quote your Folio/DP-Client ID number in all correspondence)

Card, KYC Details, Bank Account Details, Nomination Form, etc. from all shareholders holding shares in physical form. Therefore, shareholders holding shares in physical mode are requested to provide their PAN, KYC and other details at the earliest. Further, to obtain the inherent advantages of dematerialization, shareholders holding shares in physical form are requested to convert their physical holding into dematerialized mode. For more details, please visit https://www.dcmshriram.com/investors/shareholders-corner

Deepak Gupta Company Secretary

Tel.: 011-24367072, Fax No.: 011-24361018, Email: isd@ntpc.co.in, Website: www.ntpc.co.in ATTENTION VALUED SHAREHOLDERS OF NTPC LTD.

Jursuant to Section 124(5) of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, (IEPF Rules, 2016), a Company is required to transfer the amounts of unpaid dividend remaining unpaid and unclaimed for a continuous period of seven (7) years from the date of transfer of such amount to Unpaid Dividend Account to the credit of the Investor Education and Protection Fund (Fund) set up by the Central Government.

CIN No.: L40101DL1975GOI007966

Registered Office Address: NTPC Bhawan, Core-7, SCOPE Complex,

7-Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110 003.

Rules, 2016, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more, shall also be transferred to Details of the shareholders, in respect of shares for which dividend had

Further, pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and IEPF

remained unclaimed or unpaid for seven consecutive years and transferred to the IEPF Authority's Demat Account, are available on the website of the Company at https://ntpc.co.in/iepf-details/iepf-account The Interim Dividend for the financial year 2018-19 @ Rs.3.58 per equity share was paid on 14th February 2019. As per the provisions of the Companies

due for transfer to Fund. The corresponding shares of the holders who have not encashed/ claimed their dividend for seven consecutive years are also liable to be transferred to IEPF Authority's Demat Account. Shareholders may please note that if any amount/ shares are transferred to the Fund, then the same has to be claimed from the 'Investor Education and Protection Fund Authority' following the procedure as provided under IEPF

Act, 2013, the unpaid and unclaimed amounts of the aforesaid dividend were

Shareholder(s) may refer to "IEPF Details" under the "Investors" section of the website: www.ntpc.co.in for further information for unclaimed/ unpaid dividend/ shares due to be transferred to IEPF Account. To avoid the inconvenience of claiming the refund/ shares from 'Investor Education and Protection Fund Authority', shareholders who have not received/ claimed/ encashed warrant(s) relating to the Interim Dividend for the financial year 2018-19 paid in February 2019, may lodge their claims with the RTA i.e. Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd., Beetal House, 3rd Floor, 99 Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi-110062, Tel.: (011) 29961281, 29961283, Fax: (011) - 29961284 and Email: ntpc@beetalfinancial.com or with the Dy. Nodal Officer, nvestor Services Department, NTPC Ltd. at the address indicated above. Shareholders may kindly ensure that claim, if any, shall be received by the RTA/ NTPC Ltd. on or before 4th March 2026 to ensure that unclaimed/ unpaid dividend amount and shares are not transferred to

NTPC Ltd. had also issued Tax- Free Bonds - 2013 and Tax-Free Bonds 2015. Investors are also requested to check the details of such unclaimed interest amounts of Tax-Free Bonds under the "Investors" section of the website: www.ntpc.co.in and lodge the claim with KFin Technologies Limited (RTA for Tax-Free Bonds) at Selenium Tower-B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500 032, Phone No: 1800-3094001; and Email: einward.ris@kfintech.com or with the Dy. Nodal Officer, Investor Services Department, NTPC Ltd.

Shareholders(s) are requested to keep their email ID and other relevant details updated with their Depository Participant (DP), in case of shares held in dematerialized form and with the Company/ RTA, in case of shares held in physical form.

For and on behalf of NTPC Ltd.

(Ritu Arora) Company Secretary & Compliance Officer M. No.: F5270

Date: 03.12.2025 Leading the Power Sector



Host State



Place: New Delhi



New Delhi












Scan to

Register



150TH BIRTH ANNIVERSARY OF SARDAR VALLABHBHAI PATEL

Nehru wanted to use public funds on Babri, Patel opposed: Rajnath

Express News Service Vadodara, December 2

EMPHASISING THAT Sardar Vallabhbhai Patel was a "true in "politics of appeasement", Defence Minister Rainath Singh said on Tuesday that when the then Prime Minister Jawaharlal the government treasury", Sardar Patel was the one who "opposed" the use of government

Singh was addressing a gathering in Vadodara's Sadhli village as part of the Rashtriya Ekta Yatra to mark the 150th birth anniversary of Sardar Patel. Singh said, "Vallabhbhai Patel was a liberal person. He was truly secular...He did not believe in appeasement politics"

The Defence Minister went on to say "Jab Pandit Jawaharlal Nehru Babri masjid ke mudde par sarkari khazane se paisa kharch karne ki baat... jab unhone baat chheri thi, uska bhi virodh bhi kisine kiva tha, woh Guiarati ma ki kokh se paida hue Sardar Vallabhbhai Patel ne hi kiva tha. Aur uss samay, sarkari paise se unhone Babri masjid nahi banne diya.



Defence Minister Rajnath Singh in Vadodara on Tuesday. PTI

(When Pandit Jawaharlal Nehru raised the issue of spending money from the government treasury on the Babri Masjid, if anyone opposed this. it was Sardar Vallabhbhai Patel, born of a Guiarati mother. And at that time, he did not allow the Babri Masjid to be built with government funds)".

Singh added that when Nehru opposed the renovation of Somnath temple in Gujarat, Patel reminded him that the Trust. Singh said, "Nehru raised the issue of rebuilding

the Somnath Temple. When the question of reconstruction was raised, Sardar Patel, in a calm but firm voice, clarified that the Somnath Temple was a different matter. The public has donated lakhs... A Trust has been formed, and not a single paisa of the government's money has been spent on this project. This was established by Sardar Vallabhbhai

Singh added that "not a single paisa" from the government treasury has been spent in building the "magnificent

"If anyone has paid for the entire expense (of Ram Temple), it is the people of this country. This is the true definition of secularism, and Sardar Patel demonstrated it in practice. His views are clear: there should be no appeasement; justice should be given to all. National interest should be paramount... Sardar Patel also played an important role in the drafting of the con-

stitution. He opposed separate

electorates. This further

Singh also claimed that

strengthens India's unity."

Nehru had opposed the construction of a memorial for Sardar Patel and said, "After his (Patel's) death, the public respectfully collected money to build a memorial. But when this information reached Nehru, do you know what he said? He said Sardar Patel was a leader of farmers. Therefore, the money should be spent on building village wells and roads. This is not hidden from anyone, but the government is responsible for building wells and roads. The suggestion to use the money meant for a memorial for that seems absurd to me... It is completely wrong and this makes one thing clear: the government at

great legacy of Sardar Patel at any cost.

Singh said, "Nehru ji gave himself the Bharat Ratna. Could Sardar Vallabhbhai Patel not have been given the Bharat Ratna at that time? I want people to answer this question. He wasn't. Prime Minister Narenda Modi ji, by getting the Statue of Unity built, decided to give Sardar Patel the appropriate honour...

Singh stated that Sardar Patel never placed self-interest above the nation. Singh said that Patel could have become the Prime Minister, but he was denied the post citing his age. Singh also said that when he promised Mahatma Gandhi that he would work together with Nehru, despite ideological differences, he stayed true to his word.

"Nehru became the president of Congress in 1946 because Patel withdrew his nomination at the insistence of Gandhi... A majority of the Congress committee members proposed Vallabhbhai Patel's name. When Gandhiji asked Patel to let Nehru become the party president and withdraw his nomination, he immediately withdrew his name..." he said.

From PM's private dinner to President's banquet: India all set for Putin's state visit

Both nations working on labour mobility pact, say officials

Shubhajit Roy New Delhi, December 2

A PRIVATE dinner on Thursday (December 4) hosted by Prime Minister Narendra Modi, bilateral talks, address to the business leaders from both countries on December 5 (Friday), launch of the Russia Today's India operations and a banquet by President Droupadi Murmu — these are the broad elements of the Russian President Vladimir Putin's first state visit to India since the Ukraine war began in February 2022.

Putin, who last visited India in December 2021 just a couple of months before the Russian army invaded Ukraine, will be laid the red carpet by the South Block, which is preparing for the 23rd annual summit in the last 26 years.

According to officials in the Ministry of External Affairs, the bour mobility agreement that will enable Indian skilled and EXPLAINED

Bridging the

Officials said that India's

trade deficit

trade deficit with Russia will be discussed during Putin's state visit. Right now, the bilateral trade is to the tune of \$68 billion, of which Indian exports are just about \$4 billion. Delhi wants Russia to buy more Indian products. Kremlin spokesperson Dmitry Peskov in a video-streamed news conference on Tuesday said that addressing India's concerns over the massive trade deficit, cooperation in small modular nuclear reactors and expanding defence and energy ties could be among the focus areas during the summit talks.

semi-skilled professionals to work in Russia's construction, healthcare and hospitality sectors. The document has been finalised, and the internal pro-

cesses in the last stage, it is learnt. The two sides will also focus on trade and economic ties and negotiations are on for a poten-

tial free-trade agreement with the Eurasian Economic Union.

According to sources, the private dinner in Lok Kalvan Marg residence of the Prime Minister on December 4 is a re who had been hosted in Mos-

cow by Putin in July 2024. Putin will also be given the ceremonial reception at the Rashtrapati Bhawan on De bilateral talks between Mod and Putin at Hyderabad House The two leaders will then go to Bharat Mandapam for a meet ing with the business leaders from both countries, followed by the launch of the Russia To-

Russia Today, which is backed by the Russian government, has just formed a massive 100-member bureau to launch its TV operations in India.

day's India operations.

Officials said that the two leaders will also discuss defence ties and the process to ensure the safe return of Indian nationals enrolled in the Rus sian military.

Civil nuclear cooperation with Russia sharing smal modular reactor technology completion of existing nuclear plants, trade corridors and sea routes are also on the agenda

India slams Pak's claim of overflight denial to send aid to Sri Lanka

Express News Service New Delhi, December 2

DESCRIBING PAKISTAN'S claim that its request for using Indian airspace to send humanitarian aid to cyclone-hit Sri Lanka was denied by New Delhi as "ridiculous", India said Tuesday that it is yet another attempt of "spreading anti-India misinformation".

Responding to questions, Ministry of External Affairs (MEA) spokesperson Randhir Jaiswal said, "We reject the ridiculous statement made by the Ministry of Foreign Affairs of Pakistan, which is yet another attempt of spreading anti-India

The request for overflight clearance for a Pakistani aircraft carrying humanitarian assistance to Sri Lanka was received by the Indian high commission in Islamabad around 1 pm on Monday, he said. "Given the urgency of humanitarian assistance, the government of India processed the request expeditiously the same day and granted the overflight permission as per the itinerary proposed at 5.30 pm on December 1," Jaiswal said

"India remains committed to assisting the people of Sri Lanka in these challenging times through all available means," he said.

Jaiswal's remarks came hours after Pakistan alleged that its relief operations for cyclone-hit Sri Lanka were being "hampered by lack of cooperation" by India as it delayed permission to use its airspace.

3 years after bail in terror funding case, Pulwama MLA gets HC nod to travel

Srinagar: Three years after the J&K and Ladakh High Court granted him bail in an alleged terror funding case, the court Tuesday modified his bail conditions to allow Pulwama MLA Waheed ur Rehman Para to travel outside the UT.

Para was arrested under UAPA provisions in November 2020, three days after he filed his nomination for the District Development Council (DDC) polls in J&K. He contested and won the polls from jail. After 17 months in jail, the HC granted him bail in May 2022, terming the evidence produced by police against the PDP leader

"sketchy" In modification of the 2022 bail order, the Bench said "the petitioner shall be entitled" to leave the UT of J&K and move within India after intimating his location and purpose of visit to the trial court. **ENS**

SANCHAR SAATHI APP ROW

Snooping attempt, claims Opp; BJP says meant to boost security

Express News Service New Delhi, December 2

THE OPPOSITION on Tuesday hit out at the Centre's order to smartphone companies in India to preinstall Sanchar Saathi app, saying "snooping was the hallmark of the BJP's tyrannical regime".

The Department of Telecommunications (DoT) has asked smartphone makers to comply with the directive in three months and ensure that users are not able to delete the app. According to the DoPT, the app will allow users to report fraudulent calls and messages and stolen mobile phones.

Congress president Mallikarjun Kharge Tuesday said the app "is yet another addition to long list of attempts by BJP to strangulate the voice of people".

"Modi government's unilateral directions to preload this app without taking into confi-

PDG. HIGH MAST LIGHTING INSTALLATION IN PURCHASE CENTRE AT

Name of the Post

Eligibility Conditions for the post of EXECUTIVE ENGINEER (CIVIL):

Holding analogous post on regular basis in the Ministry/Department,

Eligibility Conditions for the post of Deputy Director (Official Language):

: 01 (One)

Age Limit: 56 years as on the closing date of receipt of applications

website www.meity.gov.in to DoP&T's website www.dopt.gov.in.

of this advertisement in the Employment News.

Executive Engineer (Civil)

on the closing date of receipt of applications

Deputy Director (Official Language)

FOR FURTHER INFORMATION KINDLY VISIT: www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in

NAME OF BOARD/CORP./

Number of Post

DEPUTATION

Number of Post

DEPUTATION:

Pay Scale

Pay Scale

dence various stakeholders and citizens is akin to dictatorship. Why does the Govt want to know what citizens talk with their family and friends?" Kharge said on X. "Snooping, surveilling, scanning and peeping to confiscate, control, command and monetise citizen's rights is hallmark of BJP's tyrannical regime".

Responding to the Opposition's allegations, BJP sought to clarify that the app was only intended to make citizens' mobile devices "more secure". "Does the government want

to snoop on you through Sanchar Saathi? No, no, no... This app cannot read your messages. cannot listen to your calls neither the ones you receive nor the ones you make. Sanchar Saathi cannot access your personal data," said BJP national spokesperson Sambit Patra.

Patra said it also sought to prevent digital fraud. "It is to track lost or stolen mobile

GOVERNMENT OF HARYANA TENDER NOTICE

Rs. 52,300

Government of India

Ministry of Electronics and Information

Technology

Executive Engineer (Civil) (Group 'A'-Gazetted) (Ministerial)

Level-11 of the Pay Matrix (Rs. 67,700-2,08,700).

ii. Assistant Engineer (Civil) in PB-2, Rs 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4600 with seven years regular service in the grade.

Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years a

For Ex-Servicemen: The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year

and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation

erms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be considered on re-employment

Officers from the Central Government or State Governments or Union territory Administration or Public Sector Undertakings o

AND

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits as mentioned in the detailed

For application format, eligibility conditions, requisite qualifications, pay and allowances, and other details, log on to Ministry'

Application duly prepared in the prescribed proforma should reach Deputy Secretary (Personnel), Ministry of Electronics and

rmation Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, New Delhi-110003, within 60 days from the date of publication

Deputy Director (OL) (Group 'A'-Gazetted) (Ministerial)

: Level-11 of the Pay Matrix (Rs. 67,700-2,08,700).

(ii) with five years regular service in Level -10 in the pay matrix (Rs. 56,100-1,77,500)

tisement placed on Ministry's website www.meity.gov.in and DoP&T's website www.dopt.gov.in

(i) holding analogous posts on regular basis in parent cadre or Department

Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appoint

in the same or other organisation/department of the Central Govt, shall ordinarily not exceed three years

No. of vacancies

Applications are invited for filling up the following posts in the Ministry of Electronics and Information

phones and return them to their rightful owners... Sorry Mr Kharge... the 'S' is not for strangulation but for security."

Congress MP Priyanka Gandhi Vadra said, "Everyone must have the right to privacy to send messages... without governme nt looking at everything... They are turning this country into a dictatorship in every form." Amid concerns over the No-

vember 28 order. Union Minister for Communications Jyotiraditya Scindia on Tuesday said that keeping the app will be the users' choice. Later, CPI(M) Rajya Sabha

member John Brittas wrote to Scindia and said he had taken note of the minister's clarification, but "true optionality cannot coexist with compulsory pre-installation".

SP chief Akhilesh Yadav said, "those whose history has been of spying, how can they

DETAILS/EMAIL

No. 40813/HRY

Mode of Recruitment

On deputation

On deputation

SC junks RIL plea against Rs 30 lakh SEBI penalty

Express News Service New Delhi, December 2

THE SUPREME Court Tuesday dismissed an appeal by Reliance Industries Ltd and two of its compliance officers against a fine of Rs 30 lakh imposed by the SEBI in June 2022 for failing to promptly disclose a Facebook investment in Jio Platforms Ltd which was in the works then.

"The conclusion drawn by SEBI with respect to violation of the 2015 regulation, whereby there is a statutory embargo on insider trading, we are satisfied

there is no case made out for interference... That apart, the issue dealt with by the SEBI and Securities Appellate Tribunal (SAT) are substantially issues of fact giving rise to no substantial question of law for consideration by this Court, the bench of CJI Surya Kant and Justice Joymalva Bagchi said, dismissing the appeal challenging the May 2, 2025, SAT order upholding SEBI's SEBI had imposed the pen-

alty on RIL and compliance officers Savithri Parekh, and K Sethuraman

Chhatrapati Shivaji Maharaj

1st floor, Terminal 1, Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Santacruz (E), Mumbai - 400 099. **EXPRESSION OF INTEREST (EOI)**

Mumbai International Airport Limited (MIAL) is inviting agencies to subm their Expression of Interest (EOI) for Supply, Installation, Testing and Commissioning (SITC) of Terminal and Landside signages at CSMIA

Interested agencies can visit the website https://csmia-mumbai.adaniairports.com/en/business/tenders

to download the EOI Documents.

EOI Documents shall be available to download from 3rd December 2025 till 1700 hrs on 12th December 2025

NTPC Limited

CIN No.: L40101DL1975GOI007966 Registered Office Address: NTPC Bhawan, Core-7, SCOPE Complex 7-Institutional Area, Lodhl Road, New Delhl-110 003. Tel.: 011-24367072, Fax No.: 011-24361018, Email: isd@ntpc.co.in, Website: www.ntpc.co.in

ATTENTION VALUED SHAREHOLDERS OF NTPC LTD. ursuant to Section 124(5) of the Companies Act, 2013 and the Investo

Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, (IEPF Rules, 2016), a Company is required to transfer the amounts of unpaid dividend remaining unpaid and unclaimed for a continuous period of seven (7) years from the date of transfer of such amount to Unpaid Dividend Account to the credit of the Investor Education and Protection Fund (Fund) set up by the Central Government.

Further, pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and IEPF Rules, 2016, all shares in respect of which dividend has not been paid o claimed for seven consecutive years or more, shall also be transferred to

Details of the shareholders, in respect of shares for which dividend had remained unclaimed or unpaid for seven consecutive years and transferred to the IEPF Authority's Demat Account, are available on the website of the Company at https://ntpc.co.in/iepf-details/iepf-account

The Interim Dividend for the financial year 2018-19 @ Rs.3.58 per equity share was paid on 14th February 2019. As per the provisions of the Companies Act, 2013, the unpaid and unclaimed amounts of the aforesaid dividend were due for transfer to Fund. The corresponding shares of the holders who have not encashed/ claimed their dividend for seven consecutive years are also liable to be transferred to IEPF Authority's Demat Account.

Shareholders may please note that if any amount/ shares are transferred to the Fund, then the same has to be claimed from the 'Investor Education and Protection Fund Authority' following the procedure as provided under IEPF

Shareholder(s) may refer to "IEPF Details" under the "Investors" section of the website: www.ntpc.co.in for further information for unclaimed/ unpaid dividend/ shares due to be transferred to IEPF Account. To avoid the inconvenience of claiming the refund/ shares from 'Investor Education and Protection Fund Authority', shareholders who have not received/ claimed encashed warrant(s) relating to the Interim Dividend for the financial year 2018-19 paid in February 2019, may lodge their claims with the RTA i.e. Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd., Beetal House, 3rd Floor, 99 Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi-110062. Tel.: (011) 29961281, 29961283, Fax: (011) – 29961284 and Email: ntpc@beetalfinancial.com or with the Dy. Nodal Officer. Investor Services Department, NTPC Ltd. at the address indicated above. Shareholders may kindly ensure that claim, if any, shall be received by the RTA/ NTPC Ltd. on or before 4th March 2026 to ensure that unclaimed/ unpaid dividend amount and shares are not transferred to

NTPC Ltd. had also issued Tax- Free Bonds - 2013 and Tax-Free Bonds 2015. Investors are also requested to check the details of such unclaimed interest amounts of Tax-Free Bonds under the "Investors" section of the website: www.ntpc.co.in and lodge the claim with KFin Technologies Limited (RTA for Tax-Free Bonds) at Selenium Tower-B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500 032, Phone No: 1800-3094001; and Email: einward.ris@kfintech.com or with the Dy. Nodal Officer, Investor Services Department, NTPC Ltd. Shareholders(s) are requested to keep their email ID and other relevant

details updated with their Depository Participant (DP), in case of shares held in dematerialized form and with the Company/ RTA, in case of shares held in physical form.

For and on behalf of NTPC Ltd.

Sd/ (Ritu Arora Company Secretary 8

क्र.: लउनि /निर्माण /सं/नि/इन्दौर/2025/1800

मध्यप्रदेश लघ उद्योग निगम मर्यादित कार्यालय महाप्रबंधक (सं./नि.) 3, पोलोग्राउण्ड, इंदौर (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्न कार्यों की निविदा ई-टेण्डरिंग पद्धति से वेबसाइट https://www. mptenders.gov.in पर आमंत्रित की जाती है :-

(1) औद्योगिक क्षेत्र ग्राम रायन, पीथमपुर, जिला धार में सी.सी. सड़क, ह्यम पाइप कल्वर्ट एवं आर.सी.सी. सतही नाली निर्माण कार्य, लागत राशि रु. 649.99

(2) औद्योगिक क्षेत्र ग्राम कालूखेड़ी, जिला देवास में सी.सी. सड़क, ह्यम पाइप कल्वर्ट एवं आर.सी.सी. सतही नाली निर्माण कार्य लागत राशि रु. 1162.45 लाख।

(3) औद्योगिक क्षेत्र ग्राम सतपायरी, नेपानगर, जिला बुरहानपुर में सी.सी. सड़क, ह्यम पाइप कल्वर्ट एवं आर.सी.सी. सतही नाली निर्माण कार्य, लागत राशि रु

(4) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, धार में बाउण्ड्रीवाल, चौकीदार क्वार्टर, पार्किंग शेड एवं नलकूप खनन कार्य, लागत राशि रु. 43.34 लाख।

(5) औद्योगिक क्षेत्र मक्सी रोड, जिला उज्जैन में स्ट्रीट लाइट एवं प्लान्टेशन मय ट्री गार्ड कार्य, लागत राशि रु. 115.64 लाख। निविदा की समस्त जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है। यदि निविदा में

कोई संशोधन व परिवर्तन किया जाता है तो उसे उपरोक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है, इसे पथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा। बिना कोई कारण बताये निविदा स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सरक्षित है

म.प्र. माध्यम/123309/2025

महाप्रबंधक (सं./नि.)

Ministry of Culture
Government of India



Centre for Contemporary Studies Prime Ministers Museum and Library cordially invites you to a Talk

The Global Footprints of Indian Textiles and

European Merchants (1500-1750)

Dr. Smarika Nawani Former Fellow, PMML

04 December 2025 at 3:00pm **Venue:** Seminar Room, Library Building

Teen Murti House, New Delhi All are Welcome.

Those wishing to have their names added to the email list

Prime Ministers Museum and Library

may please email us at:- ccs2nmml@gmail.com

CBC- 09142/12/0036/2526





Place: New Delhi

CBC - 06101/11/0013/2526

Leading the Power Sector

B dies sites section and Bernet.

बैंक ऑफ बड़ौदा, झज्जर रोड, बहादुरगढ़ (डीबीबीएएचए)

शुद्धिपत्र

संबंधित पक्ष(कारों) और आम जनता का ध्यान

दिनांक 20.11.2025 को खाताधारक मैसर्स श्री

श्याम टेडिंग कंपनी. अपने प्रोपराइटर श्री अरविंद

पुरवा के माध्यम से, के संबंध में प्रकाशित

. –नीलामी सूचना की ओर आकर्षित किया जाता है।

आरक्षित मूल्य को रु 25,84,000/- के स्थान पर

2.धरोहर राशि को रु 2,58,400/- के स्थान पर

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

रु 23.26.000/- पढा जाए।

रु 2,32,600/- पढ़ा जाए।

अन्य नियम और शर्तें वही रहेंगी।

बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली अस्ति वसूली शाखा, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र एम—125, ब्लॉक एम, विकासपुरी, नई दिल्ली—110018 ई-नीलामी बिक्री सूचना

सम्पतियों की ई-नीलामी -24.12.2025

शुद्धिपत्र

इस समाचार पत्र में दिनांक 29.11.2025 को पेज इस समाचार पत्र म । दनाक 29.11.2025 का पज नंबर 21 पर प्रकाशित उपरोक्त के सम्बंध में विज्ञापन में मेसर्स रोहन इंडस्ट्रीज के कब्जा की तारीख को 09.03.2025 की जगह "28-08-2025" पढ़े व माने और नियम औं शर्तों में के सं. 7 में "75% पेमेंट का समय 30 दिनों की जगह "15 दिन" पढ़े व माने तथा विज्ञापन के नीचे तारीख को 28.12.2025 की जगह "28.11.2025" पढ़े व माने।

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया



<u>कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड</u>

[सीआईएन: L51909HR2019PLC089207] मंजीकृत कार्यालयः 2री मंजिल, टॉवर-ए, बिल्डिंग नं. ९, डीएलएफ साइवर सिटी, फेज-III, गुरुग्राम, हरियाणा-122002, फोनः 0124-4604500, ईं-मेलः cs@kamdhenupaints.com वेबसाइटः www.kamdhenupaints.com

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो

सेबी सर्कुलर दी जाती है कि SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के अनुसरण में, हस्तांतरण विलेखों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक की छह महीने की अवधि के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है।

यह उन हस्तांतरण विलेखों पर लागू होता है जो 1 अप्रैल, 2019 से पहले जमा किए गए थे, लेकिन दस्तावेजों या पुक्रिया में कमियों के कारण अस्वीकार या वापस कर दिए गए थे और 31 मार्च. 2021 की समय सीमा चक गए थे। तदनसार, पात्र शेयरधारकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऐसे विलेखों को विशेष विंडो अवधि के भीतर कंपनी के आरटीए अर्थात स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी-153ए, 1ली मंज़िल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, दिल्ली-110020 दूरभाषः 011-40450193-97 और 011-26812682-83, ईमेल आईडीः <u>admin@skylinerta.com</u> के पास पनः प्रस्तत करें।

कुपया ध्यान दें कि हस्तांतरण के लिए **पुन**ः प्रस्तुत किए गए शेयरों पर केवल डीमैट मोड में ही कार्रवाई की जाएगी।

कामधेन वेंचर्स लिमिटेड के लि

हस्ता./ सुनील कुमार अग्रवाल अध्यक्ष

एम सं. 00005973

दिनांक: 02.12.2025 स्थानः गुरुग्राम

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी-2)

प्रथम तल, एससीओ 33–34–35, सेक्टर–17ए, चंडीगढ़, (तृतीय और चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित) वाद सं. ओए/1430/2024

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2क) के तहत Exh No. 28547

इंडियन बैंक बनाम

मेसर्स वैष्णों कॉर्टन इंडस्ट्रीज एवं अन्य

(1) मैसर्स वैष्णो कार्टन इंडस्ट्रीज और अन्य

मैसर्स वैष्णो कार्टन इंडस्ट्रीज अपने मालिक श्री हरीश कुमार सी/ओ जगदम्बा इंजी. वर्क्स के माध्यम से, मंगलम अस्पताल के पीछे, गुरुग्राम हरियाणा दूसरा पता:— खेवट / खाता नंबर 753 / 625, मस्जिद नंबर 18, कादीपुर औद्योगिक क्षेत्र, गली नंबर 7, गुरुग्राम हरियाणा गुड़गांव, हरियाणा **इसके अलावा:** मैसर्स वैष्णों कार्टन इंडस्टीज अपने मालिक श्री हरीश कमार के माध्यम से खेवट / खाता नंबर 753 / 625, मस्जिद नंबर पर 18, कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, गली नंबर 7, गुरुग्राम हरियाणा। गुड़गांव, हरियाणा

(2) हरीशं कुमार पुत्र श्री रामेश्वर दयाल पुत्र गंगा सहाय भारतीय निवासी फारुख नगर गुड़गांव रेयाणा —600014

सम्मन

जबिक, औए / 1430 / 2024 माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष 12.11.2025 को प्रस्तुत किया गया था।

जबिक, यह माननीय न्यायाधिकरण रू. **34,460,71/-** के ऋण की वसूली के लिए आपके विरूद्ध दाखिल किए गए (ओ.ए.) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन / नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है। (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ

अधिनियम की घारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार आप प्रतिवादियों को निम्न निर्देश दिया जाता है:-(i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि मांगी गई राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए; (ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3। के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के ...) अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें;

(iii) आपको मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई सुरक्षित परिसंपत्तियों या ऐसी अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों से निपटने या उनका निपटान करने से रोका जाता है संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निपटान लंबित है;

(iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभूति हित सुजित किया गया है तथा/अथवा मूल . आवेदन के क्रमांक 3। के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री पटटा अथवा अन्य प्रकार से आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को

छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं करेंगे: (v) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभृत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभति

हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेतु जिम्मेदार होंगे। आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवदेक को मुहैया कराने तथा **दिनांक** 08.01.2026 को पूर्वी. 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश हाने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपरिथति में किया जाएगा मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर **27.11.2025** को दिया गया।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर सम्मन जारी करने हेतु



एन टी पी सी लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान नंबर: L40101DL1975GOI007966 पंजीकत कार्यालय: एनटीपीसी भवन, कोर-7, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003. फोन: 011-24367072, फैक्स: 011-24361018 ईमेल: isd@ntpc.co.in | वेबसाइट: www.ntpc.co.in

एनटीपीसी लिमिटेड के सम्मानित शेयरधारकों के लिए सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकर (लेखा, ऑडिट, अंतरण एवं प्रतिदाय) नियम, 2016 (आयईपीएफ नियम, 2016) के अनुसार, यदि किसी शेयरधारक का लाभांश सात (7) साल तक नहीं लिया गया है, तो उस राशि को ["]निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष" (आयईपीएफ) में जमा करना अनिवार्य होता है, जिसे भारत सरका द्वारा स्थापित किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) और आयईपीएफ नियम, 2016 के अनुसार, जिन शेयरों पर लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश नहीं लिया गया है, वे शेयर भी आयईपीएफ खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।

जिन शेयरधारकों के डिविडेंड लगातार सात साल तक नहीं लिए गए या भुगतान नहीं हुए थे, ऐर शेयर आयईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ऐसे शेयरधारकों की जानकारी कंपनी की वेबसाइट https://ntpc.co.in/iepf-details/iepf-account पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 का अंतरिम डिविडेंड ₹3.58 प्रति शेयर की दर से 14 फरवरी 2019 क दिया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार,इस डिविडेंड की न ली गई या बिना दावा की गई राशि अब आयईपीएफ में ट्रांसफर की जानी है। जिन शेयरधारकों ने लगातार सात वर्षों तक अपना डिविडेंड नहीं लिया, उनके संबंधित शेयर भी आयईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में

शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई राशि या शेयर आयईपीएफ में ट्रांसफर हो जात है, तो उन्हें वापस पाने के लिए आयईपीएफ नियम, 2016 के तहत तय प्रक्रिया अपनानी होगी और 'निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण' से क्लेम करना होगा।

शेयरधारक, अपने बिना दावे वाले/ भुगतान न हुए डिविडेंड या शेयरों के बारे में, जिन्हे आयईपीएप खाते में ट्रांसफर किया जाना है, अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.ntpc.co.in व 'निवेशक' सेक्शन में 'आयईपीएफ विवरण' देख सकते हैं। 'निवेशक शिक्षा और सरक्षण निधि प्राधिकरण' से रिफंड/ शेयर का दावा करने की असुविधा से बचने के लिए जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2018- 19 के अंतरिम डिविडेंट (जिसका भुगतान फरवरी 2019 में हुआ था) का वॉरंट प्राप्त नहीं किया है या उसे नकद नहीं कराया है. वे अपना दावा आरटीए के पास दर्ज कर सकते हैं। आरटीए का पता है: बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड, बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99 मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पींछे, दादा हरसुखदास मंदिर के पास, नई दिल्ली-110062 फोन: (011) 29961281, 29961283, फैक्स: (011) – 2996128 ईमेल: ntpc@beetalfinancial.com या वे उप नोडल अधिकारी, निवेशक सेवा विभाग

एनटीपीसी लिमिटेड के पास ऊपर बताए गए पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। शेयरधारक कृपया यह सुनिश्चित करें कि उनका कोई भी दावा,आरटीए/एनटीपीसी लिमिटेड को 4 मार्च 2026 तक या उससे पहले मिल जाए, ताकि आपके बिना दावे वाले डिविडेंट और शेयर, फंड में टांसफर न हों।

एनटीपीसी लिमिटेड ने 2013 और 2015 में टैक्स-फ्री बॉन्ड्स भी जारी किए थे। निवेशकों र अनुरोध है कि वे इन टैक्स फ्री बॉन्ड्स पर बकाया ब्याज राशियों की जानकारी एनटीपीसी वेबसाइ www.ntpc.co.in के "निवेशक" सेक्शन में देखें और अपनी दावा प्रक्रिया पूरी करें।

दावा करने के लिए : केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (जो इन बांड्स के रजिस्ट्रार हैं) रं संपर्क करें: पता : सेलेनियम टॉवर-बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, गचीबोवली फाइनेंसियत डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500032, फ्रोन नंबर: 1800-3094001 ईमेल: einward.ris@kfintech.com या फिर एनटीपीसी लिमिटेड के निवेशक सेवा विभाग के उप-नोडल अधिकारी से संपर्क करें।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी ईमेल आईडी और और अन्य आवश्यक जानकारी अपडेट रखें यदि शेयर डीमैट रूप में हैं, तो अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ,और यदि शेयर भौतिक रूप (फिजिकल फॉर्म) में हैं, तो कंपनी या रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के साथ।

एनटीपीसी लिमिटेड की ओर से हस्ताक्षरित (ऋतु अरोड़ा) कंपनी सचिव और अनपालन अधिका

सदस्य संख्या: F5270

स्थान: नई दिल्ली विद्युत क्षेत्र में अग्रणी

दिनांक: 03.12.2025

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 {कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में}

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक,

उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

डेसिबल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड

(सीआईएन: U92100DL2010PTC204060) जिसका पंजीकृत कार्यालय : 138ए / 4बी / 9 किशन गढ़, वसंत कुंज, नई दिल्ली, भारत—110070 में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी /याचिकाकत

रतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह आवेदक कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी आधेरियम, २०१३। के भारत के अधीन आवेदन का अधिनियम, २०१३ की धारा १३ के अधीन आवेदन का अस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय प्रसाप प्रसान, जिसमें प्रमानिक पंजामूही कार्यास्य "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "कर्नाटक राज्य"में स्थानांतरित करने के लिए 28 नवंबर, 2025 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष अस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल** कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) मे शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी** क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी—2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते

138ए / 4बी / 9, किशन गढ़, वसंत कुंज, नई दिल्ली, भारत— 110070

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर रं डेसिबल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड हस्ता /

हरविंदरजीत सिंह भाटिया दिनांक : 03.12.2025 **डीआईएन**: 01681292 स्थान : नई दिल्ली



एन्वाइरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड CIN: L37003DL2009PLC191418

पंजीकृत कार्यालय: यूनिट 201, द्वितीय तल आर. जी. मेट्रो आर्केड, सेक्टर-11, रोहिणी नई दिल्ली - 110085 फोन: 011-40591549 ईमेल: investors.relation@eiepl.in

> वेबसाइट: www.eiel.in डाक मतपत्र अधिसूचना एवं

रिमोट ई-वोटिंग निर्देश

यह अधिसूचना द्वारा जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 108, 110 तथा अन्य सभी लागू प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ('MCA') द्वारा जारी लागू दिशानिर्देशों/परिपत्रों, सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, 2015 तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों ए विनियमों में समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार, **एन्वाइरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड** ("कॅपनी") अपने सदस्यों की स्वीकति डाक मतपत्र के . माध्यम से केवल रिमोट ई-वोटिंग ('ई-वोटिंग') द्वारा प्राप्त कर रही है, जैसा कि डाक मतपत्र नोटिस दिनांक 25 नवंबर, 2025 ("नोटिस") में उल्लेखित है। यह नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.eiel.in/investor पर, Bigshare Services Private Limited ('Bigshare') की वेबसाइट https://ivote.bigshareonline.com_पर तथा भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> पर उपलब्ध है। सदस्यों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है: a) MCA परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने मंगलवार 02 दिसंबर 2025 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा नोटिस (जिसमें मसौदा प्रस्ताव, स्पष्टीकरण वक्तव्य, ई-वोटिंग विवरण तथा रिमोट ई-वोटिंग की विस्तुत प्रक्रिया/निर्देश आदि शामिल हैं) उन सदस्यों को भेजा है, जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('DP') के साथ पंजीकृत हैं और जिनके नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 ('कट-ऑफ तिथि') को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं। b) कंपनी ने अपने सदस्यों के लिए Bigshare के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराई है, ताकि वे नोटिस में निर्दिष्ट प्रस्ताव पर अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकें। कृपया ध्यान दें कि MCA परिपत्रों के पालन में, सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर स्वीकृति/अस्वीकृति के लिए केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली ही मान्य होगी। अतः MCA परिपत्रों के अनुसार नोटिस, डाक मतपत्र फॉर्म तथा प्री-पेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे की भौतिक प्रति को नहीं भेजी गई है। c) सदस्यों के मतदान अधिकार कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे, जो कट-ऑफ तिथि तक लागू होगा। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि के रूप में सदस्य नहीं हैं, वे इस नोटिस को केवल

सूचना हेतु मानें। d) रिमोट ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 03 दिसंबर 2025 सुबह 9:00 बजे (IST) से प्रारंभ होकर गरुवार. 01 जनवरी 2026 शाम 5:00 बजे (IST तक चलेगी। उपर्युक्त तिथि एवं समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी तथा Bigshare द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा एक बार सदस्य द्वारा वोट डाल दिए जाने पर उसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा e) किसी भी प्रकार की पछताछ, स्पष्टीकरण या रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित शिकायत के लिए सदस्य https://ivote.bigshareonline

com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध FAQ ई-वोटिंग मॉड्यूल देखें या ivote@bigshareonline.com पर ईमेल करें या 1800 22 54 22 पर संपर्क करें। सदस्य कंपनी सचिव को investors.relation@eiepl.in

पर भी लिख सकते हैं। f) चूँिक कंपनी की संपूर्ण शेयरहोिल्डंग डिमैटेरियलाइज्ड रूप में है, अतः सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते

पंजीकृत/अपडेट करें।

g) निदेशक मंडल ने श्री आलोक जैन, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (ACS 30369; COP No.:14828) को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच हेतु स्क्रूटिनाइज़र नियुक्त किया है। उन्होंने अपनी सहमति प्रदान कर दी है और उक्त उद्देश्य के लिए उपलब्ध रहेंगे। h) डाक मतपत्र/ई-वोटिंग के परिणाम सोमवार, 05 जनवरी 2026 या उससे पहले घोषित किए जाएंगे। मतदान परिणाम एवं स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.eiel.in पर, Bigshare की वेबसाइट https://ivote.bigshareonline.com पर तथा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रदर्शित की जाएगी। परिणाम उन स्टॉक एक्सचेंजों को भी भेजे जाएंगे जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। एन्वाइरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड के लिए

हस्ताक्षरित/-पियूष जैन (कंपनी सचिव एवं दिनांक: 02.12.2025 स्थान: नई दिल्ली अनुपालन अधिकारी)

पंजाब नेष्ट्रान्टा बेंद ...भरोसे का प्रतीक

आरित वसूनी प्रबंधन शास्त्रा चर्किन ऑफिस आगरा: 1-2. रचनाथ नगर, बडात्मा गांधी गार्ग, आगरा फोन नम्बर- 6562-2525315, ईनैल-cs8162@cnb.co.in

अचल सम्पत्ति का कब्जा सूचना (प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के अन्तर्गत)

विलीय आरितने का प्रतिभूतिनरण व मुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रकांन अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभृति हित (प्रकांन) नियम, 2002 के नियम-3 के साथ सहप्रतित धारा-3 (12) के अन्तर्गत प्रदेश राखिएयाँ का प्रयोग करते हुए पंजाब नैशनत वैक के प्रतिकृत अधिकारी ने निम्नतिक्षित वकायेयार ऋषियों/ चारन्दर्ग / केवकावाओं / कानुनी वारिसों को नोटिस में वर्षित राशि, नोटिस प्राप्ति के 60 (साठ) दिनों के अन्दर अदा करने हेतु खाते के सम्पूछ अधिव तिथि को मीन नोटिस जारी किया था। ऋषियों / गारन्दर्ग / वंबककावीजों / कानुनी पारिसों के हारा हुए राशि की अदायनी में विकल फूने पर एतदहास आन जनात को एवं आणियों / गारकरों / बाउककरोंओं / कानूनी धारिसों को विरोध रूप से सुदाना दी जाते हैं कि नीचे वर्षित सम्पर्धक का वपरांच अमित्रम की पारा–13 (4) एवं निवन के उपनियम–8 के असानत प्रवस्त जीवतमां का प्रयोग करते हुए अवोहस्तवारी द्वारा आधिपतर उनके सम्पूख ऑक टिपि को कर लिया गया है। उधारकर्ताओं का प्यान सुरक्षित परिसम्पत्ति को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के सम्बंध में अधिनियम की पाँस 13 वं १४–चारा (८) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है। एसददान नहिंग्यों / गोरन्टरों / बंधककर्ताओं / कानूनी बारिसों को विशेषतः और जनसाधार को सामाध्यत सूचित किया जाता है कि चूंकि निम्न राम्पत्ति का सौंकेतिक कब्जा /मीतिक कब्जा अधिव्रहोंम कर लिया गया है, अत. इस सम्बन्ध में किसे प्रकार का कोई भी सीदा /व्यवहार वैक के अतिरिक्त अन्य किसी से न करें एवं ऐसा कोई भी सीदा /व्यवहार पंजाब नैशनत बैंक को देय वांत्रि र त्सम्बन्धित व्याज हेतु जैसा कि नीचे खाते के सम्मुख चल्लेखित किया गया है, के अध्यादींन होगा।

ऋषियाँ / गारन्टरों / बंधकवलांओं / कामुनी चारिसों का ध्यान, एक्ट के सेक्शन-13 के सब संब्रान (e) की ओर आकर्षित किया जाता है

कि वे उपलब्ध समय में वैक के देशों को खकता कर बंधक सम्पत्ति को वाविस छुदा लें। ऋणियाँ / गारन्टरों / सँ र सुपना हे अनुसार बंधक सम्पत्ति का विवरण बंधककर्ताओं के नाम **अट**णी / बंधककता / नारम्टर सान्दिक बंधक सम्पत्ति रिधात सससा नम्बर 542/1. · 1,82,43,506.39/-25 02 सर्वा सरोजनी फुडरा चेन धमवनरी, आगरा रोड, परगना एटा, सकीट, तहसील एवं जिल 80 ग्बस्ट्रीज (मालिक श्री जितेन एटा, मापने योग्य क्षेत्रफल 4250 वर्ग गीटर, राम्पति-जितेन्द रेतालीस हजार पाँच सी प मार यादव पुत्र श्री कंगलेन्द्र शिंड) कुमार यादय पुत्र श्री कमलेन्द्र सिंह के गाम रुपये और एनतालीस पैसे मान बौहददी:-पूर्व-श्री नरेन्द्र सिंह की सम्पत्ति, परिवम-एटा से र्गार भी जिलेन्द्र कुमार यादय पुत्र भी + ब्याज जोकि दिनांक 01.08 प्रागरा रोड. एतर-श्री वरंच्य सिंह की राम्पत्ति, दक्षिग-श्री व्मलेन्द्र सिंह। 2025 से और अन्य देय सर्च । लेख सिंह की सम्पति

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड Chola कब्जा सूचना नियम - 8(1) के तहत

स्थान- आगरा, दिनांक-02.12.025

जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत मैसस् चोलामण्डलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड का अधिकत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम. 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे कॉलम (बी) में सूचित नाम वाले कर्जदारों से नीचे कॉलम (डी) में सूचित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हए कॉलम (सी) में निर्दिष्ट तिथियों पर मांग सचनाएं जारी की थीं।

कर्जदारों द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने के कारण, एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदारों को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नियमों के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) तथा उसके तहत निर्मित नियमों द्वारा पदन शक्तियों के उपभोग में यहां नीचे कॉलम (ई) में वर्णित कम्पनी के पास बंधक सम्पत्तियों पर कॉलम (एफ) में वर्णित सम्बन्धित तिथियो

विशेष रूप से कर्जदारों को तथा जनसामान्य को एतद्वारा नीचे कॉलम (ई) में वर्णित सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावर्न दी जाती है और ऐसा कोई संव्यवहार कॉलम (डी) में वर्णित राशि एवं ब्याज सहित अन्य प्रभारों के लिए मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रभार के अध्यधीन होगा।

प्रतिभृतिकरण अधिनियम की धारा 13(8) के तहत कर्जदार बिक्री की अधिसूचना से पूर्व समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों सहित सम्पूर्ण

बव	बकार्यों का भुगतान करके प्रतिभूत आस्ति विमोचित कर सकते हैं।							
क्र.	कर्जदार का नाम तथा पता	मांग सूचना	बकाया	कब्जा कृत	कब्जे			
सं.	और ऋण खाता संख्या	की तिथि	राशि	सम्पत्ति का विवरण	की तिथि			
				-	T			
A	В	С	D	E	F			
1.	ऋण खाता संख्या HE01CIG00000054226		₹. 32,95,008/-	आवासीय फ्लैट नंबर 98-ए, प्रथम				
	कर्जदार और सह–कर्जदार :–		तिथि	तल, माप 0 कनाल-01 मरला-7	10			
	1. मनीष अजमेरा पुत्र ओम प्रकाश अजमेरा	325	09/09/2025	सरसाई, गोल्डन एन्क्लेव, पार्कव्यू	01.12.2025			
	 दीप्ति अजमेरा पत्नी मनीष अजमेरा, दोनों का 		तक तथा उस	फ्लैट्स के सामने, गाँव लोहगढ़/46,	11.12			
	पताः फ्लैट नंबर 98/ए, गोल्डन एन्क्लेव, लोहगढ़,	0%	पर भावी ब्याज	तहसील डेराबस्सी, जिला	Ü			
	जीरकपुर, एसएएस नगर, मोहाली, 140603.			साहिबजादा अजीत सिंह नगर, पंजाब				
	3. मनीष अजमेरा पुत्र ओम प्रकाश अजमेरा, पताः पटियाला रोड,			का समस्त भाग, एमसी क्षेत्र जीरका	क की गीम के			
	ट्राइसिटी ट्रेड एंड टावर के सामने, जीरकपुर, 140603.				9			
	 मेसर्स मार्बल पॉइंट, प्रोपराइटर (मनीष अजमेरा) के माध्य 		भीतर, पंजीकृत बिक्री विलेख वसी	का नबर 8546				
	पटियाला रोड, ट्राइसिटी ट्रेड एंड टावर के सामने, जीरकपुर, 140		तिथि 19/08/2011 के अनुसार।					
तिथि	तिथि : 03/12/2025 अधिकृत प्राधिकारी							
स्था	स्थान : चण्डीगढ़/मोहाली मैसर्स चोलामण्डलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड							

केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः छटी मंजिल, केआईएफएस कॉर्पोरेट हाउस, होटल त्नैनट तैंडमार्क के पास, अशोक वाटिका के पास, बीआरटीएस, इस्कॉन – आंबली रोड, बोदकदेव, आंबली, अहमदाबाद, गुजरात – 380054। कॉर्पोरेट कार्यालयः सी–902, लोटस पार्क, ग्राहम फर्थ कंपाउंड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूवी), मुंबई – 400063, हाराष्ट्र, भारत। फोन नंबरः +91 22 61796400 ईमेलः contact@kifs housing.com वेबसाइटः www.kifshousing.co सीआईएनः U65922GJ2015PLC085079 RBI COR: DOR-00145 www.kifshousing.com

परिशिष्ट IV सांकेतिक आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

बिक, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के गोपनीयता और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत कंआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (केएचएफएल) का अधिकृत अधिकारी होने के रूप में और सुरक्षा व्याज (प्रवर्तन् नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त पिक्त का प्रयोग करते हुये कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी ायन 2002 के नियम 3 के साथ पाठत थारा 13(2) के तिहा प्रयत्त पाक का अया करता हुय क्यम के आवश्य आविकृत आविकृत हारा नीचे उल्लिखित उद्यारकर्ता / गाउंटर को नीटिस में उल्लिखित पात्र शिष्ठ प्रात्त होने को भीतर चुकाने के लिए जारी किया गया डिमांड नीटिस उक्त नीटिस. उद्यारकर्ता द्वारा राषि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ता(ओ) / गाउंटर(ओ) और आम जनता को नीटिस दिया गया है कि नीचे दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उक्त अधिनियम की घारा 13 की उपधारा (4) सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्शित किया जाता है। सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान क ओर आकर्शित किया जाता है। विषेश रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है

क्र. सं.	ऋणकर्ताओं / गारंटरों के नाम तथा एनपीए तिथि	मांग सूचना तिथि/ बकाया राशि/शाखा/एलआरएन	प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विवरण	आधिपत्य सूचना तिथि /प्रकार
1.	1. महावीर महावीर	माँग सूचना की तिथि	खेवट संख्या 14 खाता संख्या 17, खसरा संख्या 89/1/1	प्रतीकात्मक
	(आवेदक)	19 सितंबर, 2025	(7–4), गाँव पलवन, तहसील उचाना जिला जींद हरियाणा–	28 नवंबर,
ш	2. सुनीता ्सुनीता	ओ / एस. ः रु. 743204/-	126115 स्थल के अनुसारः पूर्व 1: 23 फुट 5 इंच, गली 16 फुट	2025
1 1	(सह—आवेदक)	शाखा / लैन / कैथल /	चौड़ी, पश्चिम 1: 23 फुट 5 इंच, गली 13 फुट चौड़ी, उत्तर 1:	
ш	एनएपीः	1912	37 फुट 7 इंच, मकान महिंदर पुत्र चत्तर सिंह, दक्षिण 1: 37	
	10 सितंबर, 2025	/LNHEKAI008815	फीट 7 इंच, महिंदर पुत्र छत्तर सिंह।	

ऋणकर्ताओं / गारंटरों के लिए साविधिक सूचना उधारकर्ता / गारंटियों को यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति को बाद में किसी भी समय सार्वजनिक नीलामी / निविदाओं के माध्यम से बेचा जा सकता है और इस प्रकार इसे सुरक्षा (हित) प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 6, 8 और 9 के तहत एक नोटिस के रूप में भी माना जा सकता है। बाधाओं के कारण विस्तृत सूची और पंचनामा दर्ज नहीं किया जा सका क्योंकि ऐसी संपत्ति की तस्वीरे दिनाकः 03.12.2025, स्थानः हरियाणा हस्ता / – प्राधिकृत अधिकारी, केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड।

सीएफएम एसेट रिकस्ट्रक्शन प्रा. लि.

पंजीकृत कार्यालयः ब्लॉक नं. ए / 1003, वेस्ट गेट, वाईएमसीए क्लब के पास, नं. 835 / 1+3, एस.जी. हाईवे, मकरबा, अहमदाबाद—380051, गुजरात, कार्पोरेट कार्यालयः प्रथम तल, वेकफील्ड हाउस, स्प्रोट रोड, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई-400038. ईमेलः ram.jaluka@cfmarac.in, सम्पर्कः 022—40055282/8976862752

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के साथ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत

ध्धारकर्ताओं ने यूनिमनी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड (जिसे आगे मूल ऋणदाता कहा जाएगा) से विभिन्न वित्तीय सहायता प्राप्त क थी। उधारकर्ता द्वारा की गई चूकों के बाद, मूल ऋणदाता ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनुसार अपने खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया था। इसके बाद मूल ऋणदाता ने सरफंसी प्रधिनियम के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता की वित्तीय परिसंपत्तियों के साथ—साथ अंतर्निहित प्रतिभूति हित और सभी अधिकार, शीर्षक की धारा 5 के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता की संपूर्ण वित्तीय परिसंपत्तियों के साथ—साथ अंतर्निहित प्रतिभूति हित को समनुदेशक र प्राप्त कर लिया है। समनुदेशक ने 03.04.2025 को विधिवत पंजीकृत समनुदेशन समझौते के माध्यम से, सीएफएमएआरसी ट्रस्ट–173 के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत सीएफएमएआरसी के पक्ष में उधारकर्ता के समी अधिकार, शीर्षक और हित सीप दिए हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों और अंतर्निहित ग्रतिमृतियों के समनुदेशन के आधार पर सीएफएमएआरसी ने उधारकर्ता के लिए सुरक्षित ऋणदाता की भूमिका निभाई है और यकाया राशि वसूलने और अंतर्निहित प्रतिभूति हित को लागू करने का हकदार है।

ू अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत अधाहरताक्षरा विराध आरिया को आतंभूतकरण (य पुनानमाण तथा आतंभूता कि प्रवतन आधानयम, 2002 (उक्त आधानयम) के अतगत सीएफएमएआरसी के प्राधिकृत अधिकारी है। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओ) (उक्त उधारकर्ता (ओं)) से, उन्हें जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस में उदिलखित राशियों का मुगतान करने का आहवान किया गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणी(यों) को एक बार फिर सूचना दी जाती है कि वे इस सूचना के प्रकाशन से 80 दिनों के भीतर, नीचे दर्शाई गई राशि, साथ ही उक्त माग सूवना (यों) में दिए गए विवरण व अनुसार अतिरिक्त व्याज, नीचे उल्लिखित तिथि (यो) से लेकर उक्त ऋणी (यो) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों / लेखों, यदि कोई हों, वे अर्थाः करण समझौते के अंतर्गत देय मुगतान और / या बसूली की तिथि तक, सीएफएमएआरसी को मुगतान करें। ऋण की देय चुकौती हेतु प्रतिभृति के रूप में उक्त ऋणी (यो) द्वारा निम्नलिखित संपतियों क्रमशः सीएफएमएआरसी को गिरवी रखी गई है।

क्र. सं.	बंधकवर्ता / सह-उधारकता /	माग सूचना का ाताथ एवं राशि	सुराक्षतं आस्तिया का विवरण (अचल सम्पत्ति)
1	1. अरविंद सोनी 2. रेखा सोनी 3. राजेंद्र सोनी 4. अश्विनी कुमार	27.11.2025, 05.10.2022 ₹. 4,57,500 / —	सम्पत्ति जोकि मकान नं. 55/192, बाग नानक चंद, लोहा मंडी वार्ड, ईदगाह, शाहगंज, तहसील और जिला आगरा
2	1. दिनेश 2. हरि ओम 3. बबिता 4. गंगा श्री	27.11.2025, 05.07.2023 ₹. 10,89,562 / —	सम्पत्ति जोकि प्लॉट नं. 71 एरिया 83.61 वर्ग भी. नगर नायबाबादी प्रेम नगर, खसरा नंबर 402 का हिस्सा, मीजा बोगी पुरा लोहा मंडी वार्ड तहसील आगरा—282010

यदि उक्त उचारकर्ता सीएफएमएआरसी को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीएफएमएआरसी अधिनियम की घारा 13(4) और लागू, नियमों के अतर्गत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध पूरी तरह से उचारकर्ता के जोविम पर लागत और परिणामों के सबंध में कार्यवाही करेगा। उक्त उचारकर्ता(आ), बेबककर्ता को अधिनियम की घारा 13 (13) के अंतर्गत सीएफएमएआरसी की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिकी, पड़े या अन्यधा के माध्यम से उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नेयमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और 🖊 या दंड का सामना करना पड़ेगा।

हस्ता / — प्राधिकृत अधिकारी कृते सीएफएम एसेट रिकस्ट्रक्शन प्रा. लि. [सीएफएमएआरसी ट्रस्ट-173]

डीसीएम श्रीराम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं0. 82, सेक्टर 32, इंस्टीटयूशनल एरिया, गुरूग्राम -122001, हरियाणा

फोनः 91 124 4513700 | ई—मेलः <u>shares@dcmshriram.com</u> वेबसाइटः www.dcmshriram.com

सूचना (कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ)

ह सूचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ पठित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016, समय—समय पर यथासंशोधित ("नियम") के अनुपालन में प्रकाशित की जा रही है। उक्त नियम उन शेयरों के लेनदेन प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए है जिनके संबंध में लाभांश निरंतर सात वर्षों की अवधि के लिए अदावाकृत/अप्रदत्त है। कथित नियमों के अनुसार अदावाकृत/अप्रदत्त लागांश के साथ ऐसे शेयर निवेशक शिक्षा एवं संरक्ष निधि पाधिकरण (आर्दर्दपीएफ) को अंतरित किए जाएंगे। ऐसे शेयरधारक की सूची कंपनी की वेबसाइट https://www.dcmshriram.com/investors shareholders-corner पर अपलोड की गई है।

कथित नियमों के अनुपालन में, उन शेयरधारकों जिन्होंने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए दूसरा अंतरिम लाभांश के बाद से अपने लाभांश का भुगतान नही प्राप्त किया है या अन्यथा इस संबंध में न्यायालय/ न्यायाधिकरण/साविधिक प्राधिकारियों आदि से कोई आदेश प्राप्त किया हैं, उन्हें अदावाकृत/अप्रदत्त लाभांश का दावा करने का अवसर प्रदान करने और ऐसे शेयरों को आईईपीएफ में स्थानांतरण होने से बचाने के लिए उचित कार्यवाही करने हेतु कंपनी के रिकार्ड के अनुसार उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर इस बारे में उनकी जानकारी के लिए व्यक्तिगत पत्र भेजे गए हैं। संबंधित शेयरघारकों से अनरोध है कि वे अप्रदत्त लाभांश / संगत दस्तावेज / आदेश आदि. के प्रमाण के साथ जैसा भी मामला हो, **शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026** को य उससे पहले, कंपनी/रिजिस्ट्रार एवं शैयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को लिखें। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उन्हें मेजी गई व्यक्तिगत सूचना का अवलोकन करें या आरटीए मेसर्स एमसीएम शैयर ट्रांसफर एजेंट ति., 179—180, डीएसआईडीसी शेड, तीसरी मंजिल, ओखला इंडरिट्रयल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली—110020, फोन: 011-सी406149-52, ई—मेल: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com और कंपनी डीसीएम श्रीराम लिमिटेड दूसरी मंजिल (पश्चिम विंग), वर्ल्डमार्क 1, एरोसिटी, नई दिल्ली-110037, फोनः 011-42100200, ई-मेलः shares@dcmshriram.com पर संपर्क करें (कृपया सभी पत्राचार के साथ अपना फोलियो / डीपी–क्लाइंट आईडी नम्बर उदत करें)।

सेबी ने कंपनी/आरटीए को भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सर्भ शेयरधारकों से पैन कार्ड, केवाईसी विवरण, बैंक खाता विवरण, नामांकन फॉर्म आदि की प्रतिया प्राप्त करने का निर्देश दिया है। इसलिए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनरोध है कि वे जल्द से जल्द अपन पैन, केवाईसी और अन्य विवरण प्रदान करें। इसके अलावा, डीमैटरियलाइजेशन के अंतर्निहित लाम प्राप्त करने के लिए मौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अतिशीघ्र अपने भौतिक होल्डिंग को डीमैटरियलाइज्ड मोड में परिवर्तित करें। अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.dcmshriram.com/investors/shareholders-corner को देखें

कृते डीसीएम श्रीराम लिमिटेड

हस्ता/-

हस्ता./

एफसीएस: 10065

खेम चंद

दीपक गुप्ता कंपनी सचिव

तिथिः २ दिसम्बर, 2025

कामधेनु लिमिटेड [सीआईएन: L51909HR2019PLC089207] कार्यालय: 2री मॉज़ल, टॉवर-प, बिल्डिंग नं. 9, डीएलएफ साइवर सिटी, फेज-III, गुरुग्राम, हरियाणा−122002, फोन: 0124-4604500, इं-मेलः cs@kamdhenulimited.com GROUP

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो

सूचना दी जाती है कि सेबी SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के अनुसरण में, हस्तांतरण विलेखों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक की छह महीने की अवधि के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है।

यह उन हस्तांतरण विलेखों पर लागू होता है जो 1 अप्रैल, 2019 से पहले जमा किए गए थे, लेकिन दस्तावेजों या प्रक्रिया में कमियों के कारण अस्वीकार या वापस कर दिए गए थे और 31 मार्च, 202⁻ की समय सीमा चूक गए थे। तदनुसार, पात्र शेयरधारकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऐसे विलेखों को विशेष विंडो अवधि के भीतर कंपनी के आरटीए अर्थात केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी, प्लॉट सं. 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद 500032, दुरभाषः +91-40-67161517 ईमेल आईडीः <u>einward.ris@kfintech.com</u> के पास पुनः प्रस्तुत करें। कृपया ध्यान दें कि हस्तांतरण के लिए पुनः प्रस्तुत किए गए शेयरों पर केवल डीमैट मोड में ही कार्रवाई

की जाएगी।

दिनांक: 02.12.2025 स्थानः गुरुग्राम

प्राधिकृत अधिकारी

'IMPORTANT'

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, its not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as aresult of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies

rake necessary inquirie efore sending any monie er entering into an greements with advertiser

r otherwise acting on ar dvertisement in any

केन फिन होम्स लिमिटेड

Commencial

,ससीओ 87, प्रथम तल, सेक्टर 47 डी, चंडीगढ़, 160047

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकार्र

Can Fin Homes Lid इंमेल: CHANDIGARH@CANFINHOMES.COM, मो : 7625079132, फोनः 0172-2632925 CIN: L85110KA1987PLC008699

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तः अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई—नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है क प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका **भौतिक** कब्ज केन फिन होम्स लिमिटेड चंडीगढ शाखा के प्राधिकत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चका है श्रीमती अनीता पत्नी रतन सिंह (उधारकर्ता), श्री रतन सिंह पुत्र भूले सिंह (सह-उधारकर्ता और श्री राकेश कुमार पुत्र मदन लाल (गारंटर) से केन फिन होम्स लिमिटेड की 02.12.2025 तक बकाया राशि रु. 32,82,809 / - (रुपए बत्तीस लाख बयासी हजार आठ सौ नौ मात्र) उस पर आगे ब्याज एवं अन्य प्रमारों इत्यादि की वसूली के लिए दिनांक 07.01.2026 को ई—नीलामी द्वारा "जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहाँ है" आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मुल्य **रु. 22,10,000 /— (रुपए बाईस लाख दस हजार मात्र)** तथा धरोह राशि जमारु.2,21,000 (रुपए दो लाख इक्कीस हजार मात्र) होगी। संपत्ति का विवरण

संपत्ति कर रसीद संख्या बी-015/02810-18, संपूर्ण फ्लैट संख्या 5 भूतल, खाता संख्य 161,174, 1628 / 1, 2671, 2670, खतूनी संख्या 167, 180, 1659, 2772, 2771, खसरा संख्य 38 / / 21(8-0), 37 / 25 / 1 / 3 (0-1), 25 / 2 / 2(0-13), 53 / / 10 / 2 (5-3), 10 / 1 (1—16), 20 / 1 (0—14) किता 6, 16 कनाल ७ मरला और खाता संख्या 3062 / 3203. खसरा संख्या 165 (6–9), 166 (0–11), 166 / 2(0–8) किट्टे 3, 7 कनाल / मरला, रहमत होम्स, रंधावा उत्तर – फ्लैट नंबर 4 दक्षिण – फ्लैट नंबर ६ चौहद्दी:

पूर्व – प्रवेश / अप्रोच रोड

पश्चिम — अन्य की सम्पत्ति

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तें **केन फिन होम्स लिमिटेड** की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx) में उपलब्ध कराई गई हैं। —नीलामी में भाग लेने के लिए लिंक www.bankeauctionwizard.com देखें।

तिथि : 02.12.2025 स्थान : चंडीगढ

प्राधिकृत अधिकारी, केन फिन होम्स लिमिटेड

केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः छठी मंजिल, केआईएफएस कॉर्पोरेट हाउस, होटल प्लैनेट लैंडमार्क के पास, अशोक वाटिका के पास, बीआरटीएस इस्कॉन – आंबली रोड, बोदकदेव, आंबली, अहमदाबाद, गुजरात – 380054 जॉर्पोरेट कार्यालयः सी–902, लोटस पार्क, ग्राहम फर्थ कंपाउंड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई – 400063, महाराष्ट्र, भारत फोन नंबर: +91 22 61796400 ईमेल: contact@kifs housing.com वेबसाइट: www.kifshousing.com सीआईएन: U65922GJ2015PLC085079 RBI COR: DOR-00145 सीआईएनः U65922GJ2015PLC085079

परिशिष्ट IV सांकेतिक कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) बिक, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के गोपनीयता और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के

केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (केएचएफएल) का अधिकृत अधिकारी होने के रूप में और सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नेयम २००२ के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त षिक्त का प्रयोग करते हुये कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी ारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/गारंटर को नोटिस में उल्लिखित राषि प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने वे . लिए जारी किया गया डिमांड नोटिस उक्त नोटिस. उधारकर्ता द्वारा राषि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ता(ऑ) / गारंटर(ऑ, और आम जनता को नोटिस दिया गया है कि नीचे दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधोहरताक्षरी ने नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया हैं। उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्शित किया जाता है। सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्शित किया जाता है। विषेश रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है

क्र सं		मांग सूचना की तिथि /रावि. बकाया/ शाखा लैन	सुरक्षित संपत्तियों का विवरणः	कब्जा सूचना की तिथि /प्रकार
1	शंकर झिनक गुप्ता (आवेदक) 2: प्रेमशीला प्रेमशीला (सह–आवेदक) एनपीए' 10 सितंबर, 2025	माँग सूचना की तिथिः 19 सितंबर, 2025 ओ/एस.: रु. 568485/- शाखा / लैन / गोरखपुर/11453/ LNHLGOR012227	आराजी नंबर 202 तमा, दिखन परगना मगहर पूरब, खलीलाबाद, संतकबीरनगर, बस्ती उत्तर प्रदेश 272175 पर खिला है, विक्री पत्र के अनुसार सीमाएं पूर्व: विनय कुमार की भूमि, पश्चिम: भूमि श्रीमती उषा देवी, उत्तर: चकनाली, दिक्षण: लिंक रोड पक्का, साइट के अनुसार: पूर्व 1: विनय कुमार की भूमि, पश्चिम 1: मूमि श्रीमती उषा देवी, उत्तर 1: चकनाली, दक्षिण: विक्रा सुन्तर की सुन्तर	

उधारकर्ताओं / गारंटरों को वैधानिक सूचना उधारकर्ता / गारंटियों को यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति को बाद में किसी भी समय सार्वजनिक नीलामी / निविदाओं के माध्यम से बेचा जा सकता है और इस प्रकार इसे सुरक्षा (हित) प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 6, 8 और 9 के तहत एक नोटिस के रूप में भी माना जा सकता है। बाघाओं के कारण विस्तृत सूची और पंचनामा दर्ज नहीं किया जा सका क्योंकि ऐसी संपत्ति की तस्वीरें ली गई है दिनांकः 03.12.2026, स्थानः उत्तर प्रदेश इस्ता/— प्राधिकृत अधिकारी, केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस र्ग हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड।



THE BIGGEST CAPITAL ONE CAN POSSESS KNOWLEDGE

CIN: U67100GJ2015PTC083994

♦ FINANCIAL EXPRESS